प्रकाशन हेतु अनुमोदित

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

द्वितीय अपील संख्या 303 वर्ष 2002

अपीलार्थी श्रीमती छाया राय

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी बिंदा प्रसाद गुप्ता व अन्य

उपस्थित:

श्री संजय के. अग्रवाल, अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद के साथ। श्री सुनील साहू, प्रत्यर्थी कर्मांक 1 के अधिवक्ता श्री योगेश सी. पांडे की ओर से उपस्थित हुए।

श्री संजीव कुमार अग्रवाल, राज्य/, प्रत्यर्थी कर्मांक 2 के लिए पैनल अधिवक्ता ।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील

<u>निर्णय</u>

(3 फरवरी, 2010 को उद्घोषित)

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत वर्तमान द्वितीय अपील वादी श्रीमती छाया राय द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो प्रत्यर्थी कर्मांक 1 बिंदा प्रसाद गुप्ता के प्रतिदावे पर विचारण न्यायालय द्वारा 3-9-1998 को पारित डिक्री के विरुद्ध वादरत हैं। सिविल वाद संख्या 8-ए/98 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 80-ए/2002 में दिनांक 23-7-2002 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा पुष्ट किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि सतीपारा, अंबिकापुर में स्थित खसरा संख्या 771 क्षेत्रफल 1.01 एकड़ की विवादित भूमि वादी द्वारा दिनांक 14-6-1989 के विक्रय-पत्र द्वारा श्रीमती भिनसारी, विधवा मांझीदास से 30,000/- रुपये में खरीदी गई थी।

भूमि वितरित कर दी गई थी, तथापि, प्रत्यर्थी कर्मांक 1 ने 31-7-1989 को वाद की भूमि पर दीवार बनाने के लिए नींव खोदकर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसके कारण वर्तमान वाद दायर किया गया।

3. प्रत्यर्थी कर्मांक 1 ने वाद में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उसने बुधनसाई के पुत्र मांझीदास से दिनांक 26-8-1988 के विक्रय-पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व का दावा किया। उक्त प्रतिवादी के अनुसार, वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा है और इसलिए, वह स्वामी होने के नाते, विधि के अनुसार निर्माण कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6A के अंतर्गत अपने स्वामित्व

की घोषणा और वादी तथा उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध उसके कब्जे में हस्तक्षेप न करने के स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रतिवाद प्रस्तुत किया।

4. यह वाद 1-8-1989 को दायर किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिदावे के साथ अपना लिखित बयान 14-9-1992 को दाखिल किया और वादी ने प्रतिदावे के संबंध में अपना लिखित बयान 14-11-1992 को दाखिल किया और उसके बाद 18-12-1992 को विवादक विरचित किए गए। वादी के गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला पहली बार 10-9-1993 को अभिलिखित किया गया था। इसके बाद, कुछ तारीखों पर वादी के गवाह उपस्थित हुए और कुछ तारीखों पर वे उपस्थित नहीं हुए। इस बीच, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित बयान में संशोधन किया गया और वादी ने भी वादपत्र में संशोधन किया। 8-12-1995 को वादी ने मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) राज्य को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए वादपत्र में संशोधन किया। 22-12-1995 को, वादी द्वारा नए शामिल प्रतिवादी को नोटिस के लिए प्रक्रिया शुल्क का भुगतान न करने के कारण मामला स्थगित कर दिया गया था। 10-4-1996 को भी, मामला स्थगित कर दिया गया क्योंकि वादी प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा। फिर मामले की तारीख 6-2-1996 तय की गई और उक्त तिथि को वादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि, उत्तरवादी कर्मांक 1 का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता ने किया। वादी के अधिवक्ता ने न्यायलय को सूचित किया कि उनके पास वादी की ओर से कोई निर्देश नहीं है, इसलिए आदेश-पत्र में दर्ज है कि वादी की ओर से 6-2-1996 को कोई भी पेश नहीं हुआ। वाद अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, हालांकि, बाद में, विद्वान विघटन न्यायलय महसूस किया कि प्रतिदावे पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए, प्रतिदावा लिया गया और वादी या उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में, वादी को प्रतिदावे में एकतरफा घोषित किया गया और प्रतिवादी नंबर

1 के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए 22-3-1996 को प्रतिवाद तय किया गया। इस तारीख को, वादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश हुई लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 के गवाहों की जांच नहीं की जा सकी। 15-5-1996 को फिर से, प्रतिवादी नंबर 1 के गवाहों की जांच नहीं की जा सकी। 4-12-1997 के आदेश-पत्र में दर्ज है कि वादी ने अपने विरुद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को आभार आपस्त करवाने का कोई प्रयास नहीं किया आगे की कार्यवाही मैं भाग लेने के लिए , उसे अनुमति दी गई । इसके बाद, वादी ने प्रतिदावे में अपने विरुद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को आपस्त करने के लिए 12-12-1997 को एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया। वादी का उक्त अंतरिम आवेदन 27-4-1998 को अधीनस्त न्यायलय द्वारा खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दिनांक 13-8-1998 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने गवाहों, अर्थात् बिंदारा प्रसाद, भोगा और भिनसारी, के एकपक्षीय साक्ष्य का परिक्षण किया और दिनांक 24-8-1998 को विजय कुमार नामक व्यक्ति का परिक्षण किया गया । प्रतिदावे पर दिनांक 3-9-1998 को डिक्रीत किया गया ।

6. इस बीच, वादी ने सिविल पुनरीक्षण संख्या 1472/1998 दायर कर, 27-4-1998 को अधीनस्त न्यायलय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत प्रतिदावे में एकपक्षीय आदेश को आपस्त करने के उसके आवेदन को विचारण न्यायलय ने खारिज कर दिया था। सिविल पुनरीक्षण संख्या 1472/1998 को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20-7-1998 द्वारा खारिज कर दिया था, जिसका सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

यह पुनरीक्षण दिनांक 27-4-98 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत आवेदक का सी.पी.सी. की धारा 9 नियम 7 के तहत तथा सी.पी.सी. की धारा 13 नियम 4 के तहत आवेदन विचारण न्यायलय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. इस मामले के तथ्य यह हैं कि आवेदक ने अनावेदकों के विरुद्ध वाद दायर किया था। अनावेदक क्रमांक 1 ने आवेदक के विरुद्ध प्रतिदावा दायर किया था। 6-02-96 को आवेदक का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने भी भूलवश प्रतिदावे पर कोई आदेश पारित नहीं किया। तत्पश्चात, जब यह बात न्यायालय के संज्ञान में आई, तो विचारण न्यायालय ने प्रतिदावे में आवेदक की उपस्थिति को एकपक्षीय माना और आवेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की सी.पी.सी. के आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की गई !

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इसके बाद, आवेदक, जो प्रति-दावे में प्रतिवादी होगा, उपस्थित हुआ और सीपीसी के नियम 2 की धारा 13 और सीपीसी के नियम 7 की आदेश 9 के तहत आवेदन दायर किया। विचारण न्यायलय ने 6-02-96 के ऑर्डर-शीट और सीपीसी के नियम 7 की धारा 9 के तहत आवेदन को देखने के बाद एकपक्षीय आदेश को आपस्त करने से इनकार कर दिया। इस न्यायालय की राय है कि ऐसा करने में विचारण न्यायलय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि आवेदन से ही पता चलता है कि 6-2-96 को आवेदक के अधिवक्ता , श्री प्रदीप शर्मा ने कोई निर्देश नहीं दिए थे। आवेदन पर, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि किस कारण से आवेदक ने वाद नहीं चलाया या प्रति-दावे में अपने मामले का बचाव नहीं किया। इसी तरह, सीपीसी के नियम 2 की आदेश 13 नियम 2 के तहत आवेदन का सवाल इस मामले में यह प्रश्न नहीं उठता है

कि आवेदक पहले चरण में एकपक्षीय था और वह सी.पी.सी. के नियम 1 की धारा 13 का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं था।

4. उपरोक्त सभी कारणों से, इस संशोधन में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार, यह संशोधन यथाशीघ्र खारिज किया जाता है।

7. वादी ने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, तथापि, वादी ने जिला न्यायाधीश, अंबिकापुर के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत प्रथम अपील (सिविल अपील संख्या 80-ए/2002) प्रस्तुत की। उक्त प्रथम अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्न पर स्वीकार की गई है:

"क्या विचारण न्यायलय द्वारा अपीलकर्ता/वादी के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी के प्रतिदावे को एकपक्षीय रूप से स्वीकार करना न्यायोचित था?"

9. इस न्यायालय में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 6-2-1996 का वह आदेश, जब वादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, कानून की दृष्टि से अनुचित है क्योंकि वह तिथि वाद की सुनवाई के लिए नियत नहीं की गई थी, बल्कि मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) राज्य का लिखित बयान दाखिल करने के लिए नियत की गई थी। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि एक बार वाद खारिज करने के बाद प्रतिदावा पुनर्जीवित करने में विचारण न्यायलय का कोई औचित्य

नहीं था। उनके अनुसार, प्रतिदावा पुनर्जीवित करने से पहले वादी को नोटिस दिया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता दिनांक 6-2-1996 के आदेश को अपील में चुनौती दे सकती है, भले ही एकपक्षीय आदेश को आपस्त करने की उसकी पूर्व की प्रार्थना को विचारण न्यायलय ने खारिज कर दिया हो और उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण में उसकी पुष्टि की हो।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायलय द्वारा 6-2-1996 और 27-4-1998 को पारित आदेशों के साथ-साथ विचारण न्यायलय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री का समर्थन किया है। उनके अनुसार, अपीलकर्ता के पक्ष में निर्धारण के लिए विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठता है। अंबा बाई और अन्य बनाम गोपाल और अन्य, (2001) 5 एससीसी 570, चंडी प्रसाद और अन्य बनाम जगदीश प्रसाद और अन्य, 2004 एसएआर (सिविल) 913 (सुप्रीम कोर्ट) पर अवलंब होते हुए , प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विलय का सिद्धांत लागू होगा और एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश सिविल पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विलय हो गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय द्वारा विरचित विधि का सारभूत प्रश्न, प्रतिदावे पर अभिलिखित एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर अधीनस्त न्यायलय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के गुण-दोष के बारे में नहीं है। यह केवल प्रतिदावे पर दिनांक 6-2-1996 को विचारण न्यायालय द्वारा वादी के विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के संबंध में है।

12. उक्त विधि प्रश्न पर निर्णय देने और उसका उत्तर देने के लिए, 6-2-1996, 27-4-1998 की कार्यवाहियों और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत सिविल पुनरीक्षण का पुनः संदर्भ लेना समीचीन होगा।

13. दिनांक 6-2-1996 को विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन के अभाव में वाद खारिज कर दिया, तथापि, यह देखते हुए कि प्रतिदावे पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इस पर सुनवाई की गई और वादी को प्रतिदावे में एकपक्षीय घोषित किया गया। दिनांक 27-4-1998 को विचारण न्यायालय ने प्रतिदावे में उसके विरुद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को आपस्त करने के लिए वादी के आवेदन को खारिज कर दिया और उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा सिविल पुनरीक्षण में पुष्टि की गई थी, इस प्रकार, दिनांक 6-2-1996 के आदेश को विचारण न्यायालय द्वारा 27-4-1998 को आपस्त करने से इनकार कर दिया गया था और उक्त इनकार को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, जिसका अर्थ है कि, विचारण न्यायालय के दिनांक 6-2-1996 और दिनांक 27-4-1998 के आदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिविल पुनरीक्षण में पारित आदेश में समाहित हो गए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश की एक बार पुष्टि करने के बाद, उक्त तथ्य को वर्तमान द्वितीय अपील में पुनः नहीं खोला जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अपीलकर्ता का यह निवेदन है कि चूंकि अपीलकर्ता के पास दोनों विकल्प खुले हैं, अर्थात् एकपक्षीय आदेश को आपस्त करने के लिए कार्यवाही करने के साथ-साथ अपील में निर्णय और डिक्री को चुनौती देने के विकल्प भी खुले हैं, इसलिए, इस द्वितीय अपील में विचारण न्यायलय के दिनांक 6-2-1996 के आदेश की वैधता और औचित्य की जांच की जा सकती है।

15. वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता ने दोनों विकल्पों का सहारा लिया था, हालाँकि, जब एकपक्षीय आदेश को आपस्त करवाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में पहला विकल्प उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिवीजन में अंतिम रूप ले चुका है, तो अपीलकर्ता इस अपील में आक्षेपित निर्णय और डिक्री के गुण-दोष के विरुद्ध उस आदेश की सत्यता को चुनौती नहीं दे सकता जिसके तहत उस पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। यह एक अलग मामला होता यदि अपीलकर्ता ने एकपक्षीय आदेश को आपस्त करवाने के लिए कदम नहीं उठाए होते या कदम उठाने के बाद भी उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिवीजन में इसे आगे नहीं बढ़ाया होता, लेकिन एक बार उक्त अंतरिम आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने और उसमें असफल होने के बाद, अपीलकर्ता अब आक्षेपित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील में गुण-दोष के आधार पर उसी मुद्दे को फिर से नहीं उठा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. रामलाल चौरसिया एवं अन्य बनाम रीवा कोल फील्ड्स लिमिटेड, कलकत्ता, 1966 एमपीएलजे 507 और नगर पालिका निगम, ग्वालियर बनाम मोतीलाल मुन्नालाल, 1977 एमपीएलजे 662 के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत किया है की दलील दी कि यद्यपि अपीलार्थी अपने विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकती कि उसके उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था, फिर भी नियमित अपील में वह यह दर्शा सकती है कि एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश में कोई त्रुटि, अनियमितता या दोष था जिससे मामले का निर्णय प्रभावित हुआ। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उपरोक्त तर्क के समर्थन में भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार एवं अन्य, (2005) 1 एससीसी 787 और अचल मिश्रा बनाम रमा शंकर सिंह एवं अन्य, (2005) 5 एससीसी 531 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब दिया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आदेश में दोष है।

अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 6-2-1996 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए, क्योंकि वाद को खारिज कर दिया गया था, विद्वान विचारण न्यायालय वादी को नोटिस दिए बिना प्रतिदावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकता था और वाद खारिज होने के बाद न्यायालय पद कार्यक्रीत बन गया था।

17. दिनांक 6-2-1996 के आदेश में किसी अन्य त्रुटि, अनियमितता या दोष से संबंधित विवादक मुद्दे से निपटने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 के नियम 6-ए और 6-डी में निहित प्रावधानों का संदर्भ लेना आवश्यक है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 के नियम 6-ए और 6-डी इस प्रकार हैं:

"आदेश .8 नियम .6-ए: प्रतिवादी द्वारा प्रति-दावा। (1) प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी वाद में, नियम 6 के अधीन मुजरा कराने के अपने अधिकार के अतिरिक्त, वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में, प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध प्रोद्भूत होने वाले वाद हेतुक के संबंध में कोई अधिकार या दावा स्थापित कर सकता है।

वाद दायर करने से पहले या उसके पश्चात्, किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले या अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा प्रतिदावा क्षति के लिए दावे की प्रकृति का हो या नहीं:

बशर्ते कि ऐसा प्रतिदावा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिवाद के समान होगा, जिससे न्यायालय को एक ही वाद में मूल दावे तथा प्रतिदावे दोनों पर अंतिम निर्णय सुनाने में सहायता मिलेगी।

(3) वादी को प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

(4) प्रतिदावा वादपत्र के रूप में माना जाएगा तथा वादपत्रों पर लागू नियमों द्वारा शासित होगा।

आदेश .8नियम .6-डी: वाद समाप्ति का प्रभाव। यदि किसी मामले में, जिसमें प्रतिवादी प्रति-दावा प्रस्तुत करता है, वादी का वाद स्थगित, रोकना या खारिज कर दिया जाता है, तो भी प्रति-दावे पर कार्यवाही की जा सकती है।"

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6-ए और 6-डी में निहित प्रावधानों के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिदावा वादी द्वारा संस्थित वाद से एक पृथक और स्वतंत्र कार्यवाही है, इसलिए, प्रतिदावे पर आदेश 6-2-1996 को पारित किया जाना आवश्यक था, भले ही वादी का वाद अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया हो। विचारण न्यायालय ने यह महसूस करते हुए कि प्रतिदावे पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उसी तिथि को प्रतिदावे पर विचार करने के लिए मामले को अपने हाथ में लिया और प्रतिदावे में अपीलकर्ता/वादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की। यह न्यायालय विचारण न्यायलय की कार्यवाही दिनाक 6.2.1996 में प्रतिदावे के सबंद में कोई अनियमितता, त्रुटि या दोष नहीं पाता है । चूँकि प्रतिदावे में आदेश अलग से पारित किया जाना अपेक्षित है, जहाँ तक प्रतिदावे का संबंध है, विचारण न्यायालय पदेन कार्यक्रीत नहीं हुआ था और चूँकि प्रतिदावे को दिनांक 6-2-1996 के आदेश के

पहले भाग में न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया था, इसलिए बाद में इसके पुनर्जीवित होने का कोई प्रश्न ही नहीं था और, इसलिए, उसी तिथि को प्रतिदावे पर विचार करने से पहले अपीलकर्ता/वादी को अलग से नोटिस जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6-डी में निहित प्रावधानों के आधार पर प्रतिदावे पर आदेश पारित करना विचारण न्यायालय का कर्तव्य था।

19. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को अपीलकर्ता/वादी के विरुद्ध दिनांक 6-2-1996 को पारित एकपक्षीय आदेश में कोई अनियमितता, त्रुटि या दोष नहीं मिला। विधि के सारवान प्रश्न का उतर अपीलार्थी के विरुद्ध किया गया है । द्वितीय अपील विफल होती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की जाती है। अपीलकर्ता/वादी को इस अपील का अपना खर्च और प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी।

सही /-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्ष कारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....नितिन साहू .....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur